जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली शहर **दिनांक – 26.05.2025**

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 1131/24 धारा 318(4) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 07.12.2024 को वादी ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि 02 अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी की माताजी को घर की परेशानी दूर करने का झांसा देकर धोखादडी करते हुए कानो के एक जोडी सोने के कुंडल, मोबाइल व पर्स को लेकर फरार हो गए । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 1131/25 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त सद्दाम उर्फ शाकिर पुत्र रफीक निवासी ग्राम शेफपुर फिरोजपुर थाना बहसुमा जनपद मेरठ का नाम प्रकाश मे आया।

कार्यवाही –

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सद्दाम उर्फ शाकिर पुत्र रफीक निवासी ग्राम शेफपुर फिरोजपुर थाना बहसुमा जनपद मेरठ को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त अभियोग से संबंधित एक कुन्डल (पीली धातु) बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धी की गई। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण

अभियुक्त से की गई पूछताछ पर यह तथ्य प्रकाश मे आये कि उसने माह दिसम्बर 2024 में अपने साथी शहजादा पुत्र यासीन जोकि उसके गाँव का ही रहने वाला है, के साथ मिलकर जानी के चौराहे के पास से एक महिला को बहकाकर उसके दो कुन्डल, पर्स व मोबाईल ठग लिया था । अभियुक्त के साथी शहजादा उपरोक्त ने अभियुक्त को एक कुन्डल व पर्स में मिले 1100/- रूपयों मे से 500/- रूपये दिये थे तथा मोबाइल फोन, एक कुन्डल व शेष बचे 600/- रूपयो को शहजादा उपरोक्त ने अपने पास रख लिया था। अभियुक्त सद्दाम को मिली नगदी को उसने खर्च कर दिया था तथा उसके हिस्से मे आये एक कुन्डल को वह आज बेचने की फिराक मे था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सद्दाम उर्फ शाकिर पुत्र रफीक निवासी ग्राम शेफपुर फिरोजपुर थाना बहसुमा जनपद मेरठ।

बरामदगी विवरण-

एक कुन्डल (पीली धातु)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 1131/25 धारा 318(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 दीपक कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 शिवम सक्सैना थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

3.मुख्य आरक्षी अमित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

4.आरक्षी मोहित कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना कोतवाली देहात **दिनांक – 26.05.2025**

थाना कोतवाली देहात पुलिस ने हत्या की घटना में वांछित 02 अभियुक्तगण (01 पुलिस मुठभेड के दौरान घायल) को घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र / फावडा सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 23.05.2025 को वादी श्री जितेन्द्र पुत्र तारा सिंह निवासी ग्राम बांकपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि तेज आंधी के कारण सतेन्द्र उर्फ संजय पुत्र तारा सिंह के खेत से एक पेड़ टूट कर वादी के भाई राजू उर्फ राजकुमार के खेत में गिर गया, जिसे काटने को लेकर 1.हिमांशु पुत्र सतेन्द्र 2.सतेन्द्र उर्फ संजय पुत्र तारा सिंह 3.विनोद पत्नी सतेन्द्र व 4.नवनीत पुत्र सलेखचन्द्र खेत पर पहुंचकर राजू उर्फ राजकुमार से विवाद करने लगे। इसी दौरान सतेन्द्र उर्फ संजय उपरोक्त ने वादी के भाई राजू उर्फ राजकुमार उपरोक्त के ऊपर जान से मारने की नियत से फावडे से वार कर दिया एवं उसके पुत्र हिमांशु ने राजू उर्फ राजकुमार को गोली मार दी, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गम्भीर अवस्था में मेरठ रेफर किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 107/25 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। दिनांक 24.05.2025 घायल राजकुमार उर्फ राजू की उपचार के दौरान मेरठ मेडिकल में मृत्यु हो गयी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियोग को धारा 103(1) बीएनएस में तरमीम किया गया।

कार्यवाही –

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा आज दिनांक 26.05.2025 को अभियुक्तगण 1.हिमान्शु पुत्र सतेन्द्र, 2.सतेन्द्र पुत्र तारा सिंह को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त सतेन्द्र की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त फावडा बरामद किया गया। अभियुक्त सतेन्द्र ने बताया कि उसके द्वारा राजू उर्फ राजकुमार के साथ उनके खेत में आंधी मे गिरे पेड को काटने को लेकर मारपीट के दौरान उसके पुत्र हिमांशु ने राजकुमार को गोली मार दी थी तथा उसने भी राजू उर्फ राजकुमार के ऊपर जान से मारने की नियत से सिर में फावडे से वार किया था।

अभियुक्त हिमांशु ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 23.05.2025 को वह अपने ताऊ राजू उर्फ राजकुमार को गोली मारकर घटनास्थल से भाग गया था तथा घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल तमंचा व कारतूस घटनास्थल के पास जंगल में बरूकी से झालू जाने वाली नहर की पटरी के किनारे छिपा दिया था। पुलिस टीम द्वारा हिमांशु की सूचना पर विश्वास करके हिमान्शु को घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल बरामद किये जाने हेतु उसके बताये स्थान नहर की पटरी के किनारे ईख के खेत पर लेकर गये तो हिमांशु ने झालू को जाने वाली नहर की पटरी के किनारे ईख के खेत में छिपाया हुआ लोड तमंचा निकालकर तमंचे से पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया तथा ईख के खेत में भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में अभियुक्त हिमांशु के बांये पैर में गोली लगी, जिसे पुलिस टीम द्वारा पुनः पुलिस हिरासत मे लिया गया। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु पीएचसी कोतवाली देहात जनपद बिजनौर में भर्ती कराया गया है। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

<u>नोट –</u> अभियोग में नामित विनोद पत्नी सतेन्द्र व नवनीत पुत्र सलेखचन्द्र के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –</u>

1.हिमान्शु पुत्र सतेन्द्र निवासी ग्राम बांकपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर (पुलिस मुठभेड में घायल)
2.सतेन्द्र पुत्र तारा सिंह निवासी ग्राम बांकपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

<u>बरामदगी –</u>

घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर व 02 खोका कारतूस व फावडा

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –</u>

1.प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री रवि तोमर थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
3.उ0नि0 श्री अनिल थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
4.कां0 हिमांशु रावल थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
5.कां अभय थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर दिनांक – 26.05.2025

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 26.05.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	चांदपुर	सज्जाद पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी मौ0 काजीजादगान कस्बा व थाना चांदपुर बिजनौर।
2	चांदपुर	मौ0 फैसल पुत्र खलीफ निवासी मौ0 काजीजादगान कस्बा व थाना चांदपुर बिजनौर।
3	नगीना देहात	रामसिंह पुत्र थानी सिंह निवासी हैजरपुर थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।
4	धामपुर	सईदल हसन उर्फ पप्पू पुत्र हनीफुल हसन निवासी नींदडू खास थाना धामपुर बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 26.05.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 521/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस व 4/10 वन अधि0 में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 01.10.2024 को वादी रियाज आलम पुत्र हफीजउल्ला निवासी मौ0 मुफ्ती सराय कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि वादी का बाग सीतला तालाब के निकट चांदपुर मे स्थित है। दिनांक 30.09.2024 को शाम के करीब 07.00 बजे वादी अपने भाई के साथ बाग में पहुंचा तो देखा कि 1.मौ0 आदिल पुत्र मौ0 शाकिर निवासी मौ0 मुफ्तीसराय थाना चांदपुर जनपद बिजनौर 2.सलमान पुत्र सरफराज 3.दानिश पुत्र जमील 4.बिजेन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासीगण मौ0 चिम्मन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर द्वारा वादी के बाग से एक हरा आम का पेड चोरी से काटा जा रहा था। वादी के विरोध करने पर मौ0 आदिल व सलमान वहां से चले गये तथा तथा दानिश व बिजेन्द्र को वादी ने लकडी काटने के आरे सहित पकड लिया। उपरोक्त अभियुक्तों ने पेड को काटकर जमीन पर गिरा दिया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 521/2024 धारा 303(2) बीएनएस व धारा 4/10 भारतीय वन अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण 1.दानिश पुत्र जमील 2.बिजेन्द्र पुत्र महेन्द्र निवासीगण मौ0 चिम्मन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

कार्यवाही –

आज दिनांक 26.05.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त सलमान पुत्र सरफराज निवासी मौ0 चिम्मन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सलमान पुत्र सरफराज निवासी मौ0 चिम्मन कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 521/24 धारा 303(2) बीएनएस व 4/10 भारतीय वन अधि0 थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.मु0अ0सं0 647/24 धारा 115(2),352,351(3) बीएनएस थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री अजीत कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2.कां0 810 मोनू कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3.कां0 671 जैकी थाना चांदपुर जनपद बिजनौर